

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

पी.एम.टी. 2009 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु)

निजी (प्रायवेट) चिकित्सा महाविद्यालय/निजी (प्रायवेट) दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की  
द्वितीय काउंसिलिंग की सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 क्रमांक 13111/09 में पारित आदेश दिनांक 27.5.09 के परिपालन में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2009 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के निजी (प्रायवेट) चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस/बीडीएस की रिक्त सीटों पर आवंटन हेतु दिनांक 31.08.09 से दिनांक 05.09.09 तक प्रातः 10.00 बजे से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में द्वितीय काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है । संभावित रिक्तियां निम्नानुसार है:-

S. N o.	SHORT NAME OF COLLEGE	UNRESERVED		SCHEDULE CASTE		SCHEDULE TRIBE		O.B.C.	
			PH		PH		PH		PH
1	L.N. Medical College, Kolar Road, Bhopal	09	01	---	---	03	---	---	---
2	Sri Arvindo Institute of Medical Science, Indore	02	---	01	---	01	---	---	---
3	R.D.Gardi Medical College, Ujjain	03	---	05	---	02	---	04	---
4	Index Medical College, Indore	12	---	07	---	02	---	---	---
5	Peoples Dental Academy, Bhopal	21	---	07	01	08	---	05	---
6	Peoples College of Dental Science & Research Centre, Bhopal	20	01	04	---	08	---	06	---
7	Sri Arvindo Institute of Dental Science, Indore	21	01	01	---	08	---	---	---
8	Rishiraj College of Dental Science, Bhopal	10	01	03	---	04	---	03	---
9	Guru Govind Singh College of Dental Science, Burhanpur	10	01	03	---	04	---	03	---
10	Modern Dental College, Indore	20	---	06	---	08	01	05	---
11	Hitkarni Dental College, Jabalpur	12	---	04	---	05	---	03	01
12	R.K.D.F. Dental College & Research Centre, Bhopal	41	02	13	---	16	---	12	01
13	Mansarovar Dental College, Bhopal	10	---	03	---	04	01	03	---
14	Institute of Dental Education & Advance St. Gwalior	20	---	05	01	09	---	06	---

सीटों की संख्या परिवर्तनीय होगी । सीटों की वास्तविक संख्या काउंसिलिंग स्थल पर उपलब्ध रहेगी ।

**काउंसिलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से**

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी / संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
31.08.09	स्कूटनी	अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार
01.09..09	आवंटन	अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त उम्मीदवार
01.09..09	स्कूटनी	अनु0जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1000 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
02.09..09	आवंटन	अनु0जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1000 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
02.09.09	स्कूटनी	अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्रं. 1001 से 1382 तक के समस्त पात्र उम्मीदवार ।
02.09..09	स्कूटनी	अ0पि0व0 पी0एच0 (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1500 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
03.09..09	आवंटन	अनूसूचित जाति (ओपन) अ.पि.व. पी0एच0 (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्रं. 1001 से 1382 तक के समस्त पात्र उम्मीदवार । मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1500 तक समस्त पात्र उम्मीदवार

03.09.09	स्कूटनी	अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन) अनारक्षित पी0एच0 (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्रं. 1501 से 2720 तक समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1500 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
04.09..09	आवंटन	अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन) अनारक्षित पी0एच0 (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्रं. 1501 से 2720 तक समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1500 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
04.09..09	स्कूटनी	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 1501 से 3000 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
05.09.09	आवंटन स्कूटनी/आवंटन	अनारक्षित (ओपन) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 1501 से 3000 तक समस्त पात्र उम्मीदवार । मेरिट क्र. 3001 से 5876 तक समस्त पात्र उम्मीदवार ।

### काउंसिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी/निर्देश :-

- 1- प्रथम काउंसिलिंग में एम0बी0बी0एस0 कोर्स पर आवंटन प्राप्त छात्रों को पुर्न आवंटन की पात्रता नहीं होगी ।
- 2- प्रथम काउंसिलिंग मे अनुपस्थित उम्मीदवार भी द्वितीय काउंसिलिंग में भाग ले सकते है ।
- 3- प्रथम काउंसिलिंग मे किसी कारण से अपात्र घोषित उम्मीदवार अपने अभिलेख पूर्ण कराकर द्वितीय काउंसिलिंग मे भाग ले सकते है ।
- 4- आप्ट फार वेटिंग के सभी उम्मीदवारो को उनके केटेगरी मे मेरिट के अनुसार काउंसिलिंग मे भाग लेने की पात्रता होगी ।

- 5- निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से बी0डी0एस पाठ्यक्रम में सीट आवंटन प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के प्राप्त आवेदन अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सीटों का री-एलोकेशन नियम 3.7 के अन्तर्गत उम्मीदवार की श्रेणी/संवर्ग में सीट रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा ।
- 6- सभी सीटों का आवंटन उम्मीदवार की व्यापम द्वारा घोषित श्रेणी/संवर्ग में मेरिट के आधार पर किया जायेगा ।
- 7- पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसलिंग में उपस्थित होने पर जिनका आवंटन निजी दंत अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनके माता पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है तथा समस्त अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट पीएमटी नियम-2009 के नियम 7.0 के अनुसार "संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल" के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा, तदुपरान्त ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा, ।
- 8- पीएमटी प्रवेश परीक्षा नियम-2009 के बिन्दू क्रं. 16.6 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यक हैं ।
- 9- किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।
- अ. यदि उल्लेखित काउंसलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
- ब. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी ।
- स. भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा-निर्देशानुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाए (Upper Limb) के विकलांग उम्मीदवार एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस. के लिए अपात्र होंगे । (म0प्र0 राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल,09 के नियम 9.4 - आरक्षण अनुसार)
- 10- उक्त आयोजित की जा रही काउंसलिंग के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को पृथक से काल लेटर नहीं भेजे जा रहे हैं । इस विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवारों को उपस्थित होना है । यदि उम्मीदवार इस सूचना से वंचित रह जाते हैं तो यह उनके स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी । विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही मान्य नहीं की जावेगी ।
11. उम्मीदवारों के अभिलेख अपूर्ण एवं गलत पाये जाने की स्थिति में काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी जिसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

नोट:- द्वितीय काउंसलिंग के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की वेबसाईट [www.mp.nic.in. medicaleducation](http://www.mp.nic.in.medicaleducation) पर भी उपलब्ध है ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश